UPMI010027112025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थित–अनुपम कुमार, एच0जे0एस0

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–129/2025

ओमशंकर केशरवानी उम्र लगभग पुत्र 63 वर्ष पुत्र स्व0 सोहनलाल, निवासी मोहल्ला–वासलीगंज, कामता प्रसाद की गली, थाना–कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर।

......................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।
2. किशोर कुमार पुत्र विश्वनाथ केसरी, निवासी मोहल्ला–वासलीगंज, कामता प्रसाद की गली, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर।
3. चन्द्र प्रकाश, एडवोकेट, निवासी मोहल्ला–पुरी कटरा (मिश्रा डेण्टल क्लीनीक के पास) पोस्ट–लालडिग्गी, थाना–कोतवाली कटरा, जनपद–मीरजापुर।

......................विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से........... श्री संतोष कुमार सिंह गौतम,
श्री अनिल कुमार सिंह व
श्रीमती दीपा सिंह (विद्वान अधिवक्तागण)
विपक्षी सं0–1 की ओर से......... श्री आलोक राय डी0जी0सी0(क्रिमि0)
विपक्षी सं0–2 ता 3 की ओर से.... श्री राजकुमार पाण्डेय,
श्री कंचन लाल मौर्य (विद्वान अधिवक्तागण)

–: निर्णय :–

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण धारा–438, 440 भा0ना0सु0संहिता के अन्तर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा प्रकीर्ण प्रा0 सं0–52/2025 ओम शंकर केशरवानी बनाम किशोर कुमार वगैरह के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–28.05.2025 के विरूद्ध योजित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–175(3) भा0ना0सु0संहिता को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता/ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) भा0ना0सु0संहिता विद्वान विचारण न्यायालय

के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का उक्त विपक्षीगण से जमीन का विवाद माननीय न्यायालय सिविल जज के यहॉ मु0नं0 525/2024 चल रहा है और उसी की रंजिश को लेकर विपक्षीगण एक राय होकर दिनांक 04.12.2024 को समय लगभग 14.38 बजे एक रजिस्ट्री गयी थी, जो प्रार्थी को दिनांक 06.12.2024 को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रेषक के स्थान पर प्रार्थी का नाम व पाने वाले का नाम श्रीमान सेल टैक्स/आयकर अधिकारी, मीरजापुर अंकित है। लिफाफा खोलने पर एक सादे कागज पर धमकी भरे शब्द में लिखा है कि ''साले 35 साल से बाहर रहकर आये हो और कचहरी, थाना जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे हित में अच्छा नहीं है, सुधर जाओ नही तो बर्बाद कर दूंगा परिवार को। तुझे एक महीने का समय दे रहा हूॅ, सुधर जाना नहीं तो शिवम व शुभम को इस दुनिया से विदा कर दूंगा, फिर कचहरी व थाना का चक्कर लगाना। तुझे जो अच्छा लगे करना।'' जॉच करने पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा में विपक्षी सं0–1 लेटर पोस्ट करते हुए देखा गया तथा विपक्षी सं0–2 से उसकी हैण्ड राईटिंग भी लेटर से मेल खाता हुआ है। उक्त धमकी भरा लिफाफा (पत्र) उक्त विपक्षीगण द्वारा एक सोची–समझी साजिश के तहत दिया गया है। विपक्षीगण किसी भी समय प्रार्थी व उसके परिवार की हत्या कर व करवा सकते है। प्रार्थी ने उक्त के बावत थाना कोतवाली शहर में सूचना दिया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के उक्त प्रार्थनापत्र को प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत किया गया और संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा संबंधित थाने की आख्या के परिशीलन के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–175(3) भा0ना0सु0संहिता निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

5. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा तथ्यों पर बिना विचार किये आदेश दिनांक 28.05.2025 पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रारम्भिक जॉच के दौरान जॉचकर्ता पुलिस को विपक्षीसं0–2 द्वारा लेटर पोस्ट करते हुए व पोस्ट

करके निकलते हुए का फुटेज प्राप्त करके दिया और अपनी प्रारम्भिक जॉच में उन्होंने अपने रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि विपक्षी किशोर कुमार द्वारा अपने अधिवक्ता से मिलकर इस तरह का धमकी भरा पत्र प्रेषित किया लेकिन मातहत अदालत द्वारा इस तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा सरसरी तौर आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।

6. मैंने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), विपक्षी सं0–2 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी की है। विद्वान् विचारण न्यायालय ने तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। इन्हीं आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश निरस्त करने की याचना की गयी है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं–

- **I.** प्रकीर्ण प्रा0 सं0–52/2025 ओम शंकर केशरवानी बनाम किशोर कुमार वगैरह के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–28.05.2025 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–6ख/1 ता 6ख/2,
- **II.** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) भा0ना0सु0सं0 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–7ख/1 ता 7ख/3,
- **III.** थाना कोतवाली शहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–8ख/1 ता 8ख/8,
- **IV.** प्रश्नगत रजिस्ट्री की छायाप्रति कागज संख्या–9ख/1 ता 9ख/2
- **V.** एक अदद सी0सी0टी0वी0 फूटेज कागज संख्या 10ख।

8. विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा विपक्षी सं0–2 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि के अनुसार पारित किया गया है। उक्त आदेश उचित व सही है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण निरस्त किया जाए।

9. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में इस पुनरीक्षणीय न्यायालय को अन्तर्गत धारा 438, 440 भा0ना0सुरक्षासंहिता के तहत यह देखना है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश वैधता, शुद्धता एवं औचित्य की कसौटी में पारित किया है, अथवा नहीं ?

10. इस संबंध में धारा–175 भा0ना0सुरक्षासंहिता का उल्लेख करना समीचीन होगा, जो यह कहती है कि :–

(1) Any officer in charge of a police station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XIV:
Provided that considering the nature and gravity of the offence, the Superintendent of Police may either himself investigate or require the Deputy Superintendent of Police to investigate the case.

(2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.

(3) Any Judicial Magistrate empowered under section 210 may, after considering the application made under clause (b) of sub-Section (4) of Section 173 and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above-mentioned.

(4) Any Judicial Magistrate empowered under Section 210, may upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, take cognizance, subject to -

(a) receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him; and

(b) after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged.

11. पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–175(3) भा0ना0सु0 संहिता को प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत कर संबंधित थाने की आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित थाने की आख्या के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि पोस्टमास्टर द्वारा रजिस्ट्री के बार कोड को देखकर बताया गया कि यह रजिस्ट्री दिनांक 04.12.2024 को समय 14:63 बजे डंकीनगंज ऑफिस से की गयी है परन्तु यह किस

व्यक्ति द्वारा की गयी है, उसकी जानकारी संभव नहीं है तथा कोई सी0सी0टी0वी0 भी डाकघर में नहीं लगा है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जो सी0सी0टी0वी0 फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं, उक्त फोटोग्राफ में स्पष्ट रूप से विपक्षी संख्या–2 द्वारा पोस्ट किया जाना दर्शित नहीं है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा उपरोक्त धमकी भरा पत्र पोस्ट किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता व विपक्षीगण के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद के सम्बन्ध में मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Rikhab Birani and another Vs. State of U.P. and another Criminal dated 16.04.2025 & Sharif Ahmed and another Vs. State of U.P. and another Criminal Appeal No. 2357 of 2024** में स्पष्ट तौर पर यह अभिमत व्यक्त किया है कि सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में तबदील करने से बचना चाहिए।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मजिस्ट्रेट का दायित्व केवल औपचारिक नहीं है। वह न तो "पोस्ट ऑफिस" की तरह आवेदन को आगे बढ़ाने का यंत्र है और न ही "मूक दर्शक" बनकर बैठ सकता है। किसी भी आवेदन, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र रूप से अपना विवेक (Judicial Mind) लगाना होता है एवं तथ्यों और अभिलेखों की प्रथम दृष्टया जाँच करनी होती है। यह देखना होता है कि कानूनी तत्व पूरे होते हैं या नहीं, और तभी कारणयुक्त (Reasoned) आदेश पारित करना होता है। केवल यह कहकर कि "आवेदन प्रस्तुत है" या "प्रार्थना स्वीकार/अस्वीकार" करके ऐसा यांत्रिक आदेश न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माने जाते हैं। मजिस्ट्रेट को यह देखाना आवश्यक है कि आदेश में विचार–प्रक्रिया परिलक्षित होती है अथवा नहीं।

14. In, **Priyanka Srivastava and others Vs. State of U.P. and another,** judgment delivered by Hon'ble Supreme Court of India **on 19.03.2015**, the Hon'ble Supreme Court held that-

"Magistrate have to see the truthness and veracity of the application and after applying his mind he will pass the order.

It is not necessary that Magistrate should order for registration of the case where the cognizable offence has been alleged. Magistrate is

entitled to look into the veracity and observe that the case is fit for registration or not?

15. उपरोक्त निर्णयज विधि में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० में यह आवश्यक नहीं है कि संज्ञेय अपराध के प्रक्रम होने पर वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित करे। मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र के अवलोकनोपरान्त अंतर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज भी कर सकता है अथवा नहीं। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षीगण के मध्य जमीन का विवाद चल रहा है। पत्रावली में संलग्न थाना कोतवाली शहर की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 04.12.2024 को समय 14:36 बजे डंकीनगंज पोस्ट ऑफिस से बार कोड नं0–RU106601712IN की रजिस्ट्री पोस्ट हुई है जबकि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सी0सी0टी0वी0 फूटेज के आधार पर विपक्षी किशोर कुमार समय करीब 10:24 बजे पोस्ट ऑफिस में अन्दर जा रहे है तथा समय करीब 10:42 बजे पोस्ट ऑफिस से बाहर आ रहे है। पोस्टमास्टर के बयान के अनुसार रजिस्ट्री प्रपत्र की रशीद दोपहर 03:00 बजे के बाद दी जाती है, लेकिन 03:00 बजे के बाद किशोर केशरी का रशीद लेने हेतु उस पोस्ट ऑफिस में उपस्थिति नहीं दिख रही है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी किशोर कुमार द्वारा ही उपरोक्त धमकी भरा पत्र पोस्ट किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० को निरस्त कर, जो आदेश पारित किया गया है, उसमें कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं है।

16. अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यही दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश युक्ति–युक्त न्यायसंगत आदेश है, जो विधि–अनुसार पारित किया गया है। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। तदानुसार पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.05.2025 पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–06.06.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
I.D. No. U.P.-1902

उक्त निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–06.06.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
I.D. No. U.P.-1902

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.06.30 12:43:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court